

बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि०

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

का० आ० सं० - 511 /

पटना, दिनांक 28/12 / 21

T-V/Misc/1511/2019 (Part)

श्री राजेश कुमार (जन्मतिथि-18.08.1982), तक० कोटि-I, 132/32 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, जयनगर की नियुक्ति सर्वप्रथम पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अंतर्गत Transmission Zone-II, मुजफ्फरपुर के नियोजन सूचना संख्या-PR/BSEB/2008 के तहत सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के आधार पर वर्ष 2009 में हुई। कालांतर में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के का० आ० सं०-396 दिनांक-15.04.2015 (क्रमांक-75) द्वारा श्री राजेश कुमार की सेवा दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से नियमित की गयी।

बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के का० आ० सं०-396 दिनांक-15.04.2015 द्वारा सेवा नियमित किये गये कर्मियों में से कुल 69 (उनहत्तर) कर्मियों का आई० टी० आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र सत्यापन हेतु निदेशक, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्य वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद दीघा, पटना को संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-238 दिनांक-12.02.2019 के द्वारा भेजा गया। सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-932 दिनांक-09.09.2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन में श्री राजेश कुमार (क्रमांक-43 पर वर्णित) का प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में " NOT ISSUED" प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1804 दिनांक-11.09.2019 के द्वारा श्री राजेश कुमार को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री राजेश द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक-16.09.2019 द्वारा अनुरोध किया गया कि "सम्भवतः अंक पत्र की छायाप्रति अस्पष्ट होने के कारण मेरा प्राप्तांक-588 है जबकि श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत पत्र में 589 दिया गया है तथा उन्हें प्रमाण पत्र/अंक पत्र की सत्यता स्थापित करने हेतु 20 दिनों का समय दिया जाए।" संचरण जोन, मुजफ्फरपुर कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र/अंक पत्र की सत्यता साबित करने हेतु श्री राजेश कुमार को पर्याप्त समय प्रदान किया गया। तदोपरांत संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना का पत्रांक-1013 दिनांक-14.11.2019 प्राप्त हुआ (जो बाद में सत्यापन के क्रम में फर्जी पाया गया) जिसमें यह उल्लेख है कि " पत्रांक-932 दिनांक-09.09.2019 के जाँच पत्र के क्रमांक-43 के अंक पत्र में 589 गलत पाया गया, अंक पत्र में 588 है जो सही है"।

उक्त प्रकरण के उपरांत विभिन्न विरोधाभासी जाँच प्रतिवेदन से विवाद उत्पन्न होने के फलस्वरूप कंपनी मुख्यालय द्वारा मामले की समीक्षा तथा विवाद के निबटारे हेतु मामले से संबंधित अबतक प्राप्त सभी सत्यापन प्रतिवेदन की पुष्टि करने हेतु पत्रांक-1063 दिनांक-10.06.2020 द्वारा सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना को भेजा गया। सहायक निदेशक (परीक्षा) के पत्रांक-636 दिनांक-01.10.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक-932 दिनांक-09.09.2019 को सही बताते हुए सम्पुष्ट किया गया तथा पत्रांक-1013 दिनांक-14.11.2019 को "कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है" प्रतिवेदित किया गया। ऐसी परिस्थिति में कंपनी मुख्यालय के का० आ० सं०-361 दिनांक-18.11.2020 द्वारा महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) की अध्यक्षता में मामले में उत्पन्न विवाद के निबटारे हेतु मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया।

उक्त गठित समिति द्वारा श्री राजेश कुमार को दिनांक-23.03.2021 को आहूत बैठक में अपना पक्ष रखने हेतु सभी प्रमाण पत्र/अंक पत्रों के साथ आमंत्रित किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-238 दिनांक-12.02.2019 के द्वारा भेजे गये सत्यापन में अंक पत्र पर प्राप्तांक 589 अंकित है जबकि श्री राजेश द्वारा समर्पित अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति पर प्राप्तांक 588 अंकित है। दिनांक-23.03.2021 को समिति के समक्ष अपने लिखित पक्ष के साथ श्री राजेश द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्र

कृ०पृ०उ०

(47842)/अंक पत्र (50175; प्राप्तांक-588) को सत्यापन हेतु पुनः कंपनी मुख्यालय के पत्रांक-1263 दिनांक-05.0
2021 द्वारा सहायक निदेशक (परीक्षा) को भेजा गया। तदोपरांत सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति सहायक निदेशक
(परीक्षा) के पत्रांक-1201 दिनांक-13.08.2021 द्वारा कंपनी मुख्यालय को हुई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि श्री
राजेश द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र/अंक पत्र कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा दिनांक-21.09.2021 को सम्पन्न तीसरी बैठक में पूरे मामले की समीक्षा उपलब्ध
अभिलेख तथा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर की गई तथा यह पाया गया कि श्री राजेश द्वारा अनुबंध पर
नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय समर्पित प्रमाण पत्र/अंक पत्र, सक्षम प्राधिकार/कार्यालय द्वारा निर्गत
नहीं है। साथ ही अपने लिखित पक्ष के साथ उनके द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र भी जाँचोपरानत फर्जी पाया
गया। उक्त के अलावा श्री राजेश द्वारा कार्यालय को फर्जी सत्यापन प्रतिवेदन (पत्रांक-1013 दिनांक-14.11.2019)
भी उपलब्ध कराया गया ताकि उनका नियोजन बरकरार रहे।

अतः समिति द्वारा की गई अनुशांसा तथा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के
का० आ० सं०-396 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका (viii) में वर्णित शर्त -"If any information given by
them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate,
domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at
any time during the period of their employment, their services will be terminated with
retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances
received by them on this account will be recovered." के आधार पर श्री राजेश कुमार के सहायक
परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-11.06.2009 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक के पद पर
नियमित नियोजन को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जाती है। साथ ही
महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया जाता है कि श्री राजेश को वेतनादि
मद में भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु तथा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने हेतु
समुचित वैधानिक कार्रवाई अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री राजेश कुमार को निबंधित डाक के माध्यम से
उपलब्ध करा दी जाय।

आदेशानुसार,

ह०/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक - _____/ पटना, दिनांक-_____/ प्रति लिपि- श्री राजेश कुमार, पिता-श्री सवलिया बिहार, पो०-शीतलपुर, जिला-सारण, छपरा,
निबंधित पिन-841221 मो०-9122545071 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक - _____/ पटना, दिनांक-_____/ प्रति लिपि-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक
(मा०स०) के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी
लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक -


2462

पटना, दिनांक-

28/12/21

प्रतिलिपि-निदेशक (परिचालन)/निदेशक(परियोजना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मासं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक)/महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, सभी संचरण जोन/उपमहाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी संचरण अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी संचरण प्रमंडल/डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर/सभी अवर सचिव/ सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।



(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)